फैक्स / आवश्यक / महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या–डीजी–चार–101(18) / 2018(पदोन्नति)   दिनॉकः लखनऊःनवम्बर 26, 2018

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थगित प्रकरणों एवं मा0 न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में पुनर्विचार से संबधित उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेजे गये प्रकरणों पर विचारण हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा दिनॉक 16–11–2018 को बैठक का आयोजन करते हुये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 मे निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उन्हे उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान से उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद / इकाई में तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित / समायोजित करते हुये उक्त कर्मियों को नवनियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

क्र सं.	पीएनओन0	नाम	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती जोन / इकाई का नाम	चयन वर्ष
1	872290165	बटेश्वर नाथ दुबे	चन्द्रमा प्रसाद दुबे	01.01.1968	जोनपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	2016
2	832250837	मुरारी यादव	जियाराम यादव	03.01.1965	वाराणसी	लखनऊ	अमेठी	2016
3	820896988	प्रेम कुमार	गोपी नाथ जी	20.06.1962	कानपुर नगर	खीरी	भ्र0नि0सं0	2016
4	902420106	विनय कुमार सिंह	धीरेन्द्र सिंह	14.01.1967	लखनऊ	हमीरपुर	महोबा	2017
5	982020049	योगेश सिंह बालियान	रणधोल सिंह	02.10.1970	मु0नगर	बुलन्दशहर	हापुड	2017
6	002330251	कटार सिंह	ईलम सिंह	01.12.1964	सहारनपुर	गाजियाबाद	बुलन्दशहर	2017
7	012090075	पंकज कुमार सिंह	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	03.03.1974	जोनपुर	मऊ	मऊ	2017
8	012530133	जितेन्द्र कुमार सिंह	भागेश्वर सिंह	01.01.1974	मिर्जापुर	गाजियाबाद	बुलन्दशहर	2017
9	012810055	जितेन्द्र सिंह	गया प्रसाद सिंह	12.04.1975	फतेहपुर	फतेहगढ	जालोन	2017
10	012490165	विजय पाल सिंह	वरमपाल सिंह	02.07.1976	उन्नाव	बरेली	शाहजहॉपुर	2017
11	052490109	योगेन्द्र कुमार	सुरेश चन्द्र	08.07.1981	बुलन्दशहर	आगरा	हाथरस	2017
12	052231416	सुबोध कुमार	सुभाष चन्द्र	01.01.1982	इटावा	मथुरा	मथुरा	2017
13	050893203	आनन्द कुमार पाण्डेय	राम अवध पाण्डेय	27.08.1979	वाराणसी	जालोन	जालोन	2017
14	052673261	अश्वनी कुमार विश्वकर्मा	बाबूलाल विश्वकर्मा	01.01.1979	वाराणसी	अमेठी	अमेठी	2017
15	072320121	आलोक सोनी	दिनेश चन्द्र सोनी	19.08.1976	वाराणसी	देवरिया	देवरिया	2017
16	072760143	प्रणय प्रसून श्रीवास्तव	प्रेमानन्द श्रीवास्तव	17.04.1975	आजमगढ	चन्दौली	चन्दौली	2017
17	072070039	मनोज कुमार	मदन लाल	28.10.1976	मेरठ	बरेली	मुरादाबाद	2017
18	052350043	राज कुमार	मनोहर लाल	12.08.1979	बदायूं	सीतापुर	फैजाबाद	2017
19	052590056	राज कुमार सरोज	राम सुमेर सरोज	15.06.1970	इलाहाबाद	शाहजहॉपुर	अमरोहा	2017
20	872151060	राम निवास सिंह	खुशी राम	04.07.1968	मैनपुरी	हापुड़	हापुड	2017
21	862810221	विद्या शंकर मिश्र	शीतला प्रसाद मिश्र	01.01.1966	प्रतापगढ	वाराणसी	वाराणसी	2017
22	912430490	सनत कुमार मिश्र	रमाशंकर मिश्र	15.04.1972	इलाहाबाद	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्ध नगर	2017
23	902330784	वेद राम	हीरा लाल	15.02.1968	शाहजहॉपुर	गौतमबुद्धनगर	बुलन्दशहर	2017
24	872260250	राम शंकर	संघारी	28.02.1966	कानपुर नगर	आगरा	मैनपुरी	2017
25	892461923	विजय कुमार	मेवा लाल	20.08.1965	कानपुर नगर	गाजियाबाद	बुलन्दशहर	2017
26	832100103	गया प्रसाद वर्मा	लल्लू	01.01.1959	हमीरपुर	बाराबंकी	बाराबंकी	2017
27	870881668	तेज बहादुर सिंह	बाबूराम	01.04.1965	इटावा	झांसी	जालोन	2017

101-2018-doc

Scanned by CamScanner

2– पदोन्नति पाये समस्त उपनिरीक्षकगण अपने नवनियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियो के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी उन्हे अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। पदोन्नति प्राप्त निरीक्षकों का यदि जोन/परिक्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो एवं उनके समायोजन में कोई नीतिगत बाधा हो तो उससे इस मुख्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनॉक 28–5–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी,जहॉ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रतिसहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/जनपद/इकाई प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–प्रारूप(क)

26/01/18

(डा0राकेश शंकर)
पुलिस उप महानिरीक्षक,कार्मिक/स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ मे कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0सं0,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।
4– पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहपुर/लखनऊ/खीरी/हमीरपुर/बुलन्दशहर/गाजियाबाद/मऊ/फतेहगढ/बरेली/आगरा/मथुरा/जालौन/अमेठी/देवरिया/चन्दौली/सीतापुर/शाहजहॉपुर/मेरठ/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/बाराबंकी/झासी/महोबा/हापुड/ /हाथरस/मथुरा/मुरादाबाद/फैजाबाद/अमरोहा/मैनपुरी ।

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

101 -2018 - doc

Scanned by CamScanner

प्रारूप–''क''

स्वघोषणा–पत्र

मैं,--------------------(नाम/पदनाम व पीएनओ)--------------------
पुत्र----------------------निवासी-----------------------------------
थाना----------जनपद--------वर्तमान में(जनपद/इकाई का नाम)-------------
----------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

''मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान मे निलम्बित हूँ।''

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ------
(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई----------में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:----------- को आरोप–पत्र दिया गया है।
(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0------------ धारा------------थाना ----------- जनपद----------में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी---------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में----------स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

Scanned by CamScanner